प्रपत्र अन्तर्गत धारा-175 R.T. Act-1955

प्र.सं.-4/2024 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई बनाम कालीदेवी पत्नि रामवतार जाति-बैरवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/8/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पेशकार सरकार उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर पेशकार सरकार बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 8.8-24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
8/8/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पेशकार सरकार उपस्थित। बहस पेशकार सरकार पर मनन किया गया। वादपत्र व संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। बहस पेशकार सरकार पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी का अन्तर्गत धारा-175 R.T. Act-1955 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वादी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-175 R.T. Act 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 8/8/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:– 02/2024
प्रकरण दायर दिनांक:–09.01.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक:– 08.08.2024

उनवान– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाँदीकुई, दौसा (वादी)

बनाम

काली देवी पत्नि रामावतार जाति बैरवा सा. देह धूलकोट तहसील सिकराय

(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

वादी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा–175 आर.टी.ए. 1955 पेश किया कि प्रतिवादी काली देवी पत्नि रामावतार जाति बैरवा सा. धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा के नाम वाके ग्राम मूण्डधिस्या तहसील बाँदीकुई जिला दौसा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 19 पर खसरा नम्बर 138/0.10, 160/0.12, 161/0.02 कुल किता 03 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर व खाता संख्या 20 पर खसरा नम्बर 104/0.13, 105/0.10, 132/689/0.66, 162/0.12, 168/0.25 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर हिस्सा पूर्ण खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है एवं इसके अलावा खाता संख्या 21 पर खसरा नम्बर 148/0.15, 149/0.30, 150/0.32, 151/0.20, 152/0.41, 154/0.04, 155/0.15, 156/0.02, 157/0.03, 158/0.08, 159/0.40, 163/0.19, 164/0.45, 165/0.18, 166/0.05 कुल किता 15 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर हिस्सा 3/4 प्रतिवादी की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रतिवादी काली देवी पत्नि रामावतार जाति बैरवा सा. धूलकोट तह. सिकराय के द्वारा उक्त आराजियों को वाके ग्राम मूण्डधिस्या के नामान्तकरण संख्या 291 फैसल दिनांक: 30.12.2014 व नामान्तकरण सं. 293 फैसल दिनांक: 06.02.2015 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बनामा क्रय की गयी है। उक्त आराजियों की जॉच करने पर वास्तविकता में विक्रम सिंह पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी मूण्डधिस्या तहसील बाँदीकुई जिला दौसा के द्वारा क्रय करके बेनामी संपत्ति के तौर पर प्रतिवादी काली देवी पत्नि रामावतार जाति बैरवा के नाम करवाया है। पैरा नं. 1 मे वर्णित उपरोक्त सम्पूर्ण आराजियों मे वर्तमान में मौके पर विक्रम सिंह पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी मूण्डधिस्या तहसील बांदीकुई के द्वारा अपना पक्का मकान पशु बाड़ा इत्यादि बनाकर के मौके पर काश्त की हुई है। जिसकी जानकारी उक्त आराजियों के लगते खातेदारान के द्वारा वरवक्त जाँच करने पर सामने आयी और जो कि उक्त व्यक्ति के द्वारा अपने ग्राम की महिला के नाम उक्त आराजियों को बतौर बेनामी सम्पत्ति क्रय करके नाम करवाई गई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति पर वास्तविक खरीददार कब्जाधारक विक्रम सिंह पुत्र रामनाथ

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

जाति गुर्जर कय दिनांक से ही बोता जोतता चला आ रहा है जो कि विधि विपरित है। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति अपनी कैटेगिरी से भिन्न व्यक्ति को बोने जोतने काश्त करने मकान बनाने इत्यादि के लिए नही देने के लिए नियमों मे पूर्णतया प्रतिबंधित किया हुआ है। उसके बावजूद भी उक्त व्यक्ति अपना रहवासी मकान पशुबाडा इत्यादि बनाकर व काश्त करता चला आ है।

इस प्रकार प्रतिवादी के द्वारा बेनामी सम्पत्ति के तौर पर नाम कराये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 की उप धारा (1), (2), (3) व (4) का स्पष्टतया उल्लंघन किया है। वादी को उक्त जानकारी उक्त आराजियों के पडौसी खातेदारान के द्वारा वादी के कार्यालय में एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ पटवारियान/भू–अभिलेख निरीक्षक से जॉच करने के दौरान प्राप्त हुई अथवा संज्ञान में आयी। इस प्रकार प्रतिवादी के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 की उप धारा (1), (2), (3) व (4) का उल्लंघन करने पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके संबंध में माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि दावे के पैरा नं. 01 में वर्णित उक्त आराजियों को सिवायचक घोषित कराने की कृपा करावे। अतः निवेदन है कि वादी का यह वाद स्वीकार किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि वाके ग्राम मूण्डघिस्या तह. बॉदीकुई जिला दौसा के खाता सं. 19, 20 व 21 में अंकित भूमि को सिवायचक सरकारी घोषित की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद पत्र पर पैरोकार सरकार बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने बहस में प्रतिवादी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि वाके ग्राम मूण्डघिस्या तह. बॉदीकुई जिला दौसा के खाता सं. 19, 20 व 21 में अंकित भूमि को सिवायचक सरकारी घोषित किये जाने का निवेदन किया गया। हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। वाद पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबन्दी संवत 2075–76 ग्राम मूण्डघिस्या खाता संख्या नया 19 पुराना 24 के खसरा नम्बर 138/0.10, 160/0.12, 161/0.02 कुल किता 03 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 20 पुराना 25 के खसरा नम्बर 104/0.13, 105/0.10, 132/689/0.66, 162/0.12, 168/0.25 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर हिस्सा पूर्ण एवं खाता संख्या नया 21 पुराना 114 के खसरा नम्बर 148/0.15, 149/0.30, 150/0.32. 151/0.20, 152/0.41, 154/0.04, 155/0.15, 156/0.02, 157/0.03, 158/0.08, 159/0.40, 163/0.19, 164/0.45, 165/0.18, 166/0.05 कुल किता 15 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर हिस्सा 3/4 प्रतिवादी की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड होना प्रकट है। ग्राम मूण्डघिस्या नामान्तकरण संख्या 291 फैसल दिनांकः 30.12.2014 व नामान्तकरण सं. 293 फैसल दिनांकः 06.02.2015 के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त आराजियों को प्रतिवादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बनामा कय की गयी है। मौका पर्चा ग्राम मूण्डघिस्या दिनांकः 28.12.2023 एवं तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि विक्रम सिंह पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी मूण्डघिस्या तहसील बॉदीकुई जिला दौसा के द्वारा उपरोक्त सम्पूर्ण आराजियों को कय करके बेनामी संपत्ति के तौर पर प्रतिवादी काली देवी पत्नि रामावतार जाति बैरवा के नाम दर्ज करवाया है तथा उपरोक्त सम्पूर्ण आराजियों में वर्तमान में मौके पर विक्रम सिंह पुत्र रामनाथ

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

जाति गुर्जर निवासी धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा हाल निवासी मूण्डघिस्या तहसील बांदीकुई का कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति पर वास्तविक खरीददार कब्जाधारक विकम सिंह पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर कय दिनांक से ही बोता जोतता चला आ रहा है जो कि विधि विपरित है। अतः प्रतिवादी के द्वारा उक्त आराजियों को बेनामी सम्पत्ति के तौर पर नाम कराये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 की उप धारा (1), (2), (3) व (4) का स्पष्टतया उल्लंघन किया है। उपरोक्त विवेचन से वादी/प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बहस पैरोकार सरकार पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी/प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175 आर.टी.ए. 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 19 पुराना 24 के खसरा नम्बर 138/0.10, 160/0.12, 161/0.02 कुल किता 03 कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 20 पुराना 25 के खसरा नम्बर 104/0.13, 105/0.10, 132/689/0.66, 162/0.12, 168/0.25 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर हिस्सा पूर्ण एवं खाता संख्या नया 21 पुराना 114 के खसरा नम्बर 148/0.15, 149/0.30, 150/0.32. 151/0.20, 152/0.41, 154/0.04, 155/0.15, 156/0.02, 157/0.03, 158/0.08, 159/0.40, 163/0.19, 164/0.45, 165/0.18, 166/0.05 कुल किता 15 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर हिस्सा 3/4 स्थित ग्राम मूण्डघिस्या तहसील बॉदीकुई जिला दौसा को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज किया जावे। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

8/8/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner